श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय
बी–4,कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली–110 016

क्रमांक.ला.ब.शा. / राज भाषा / 2020–21 / 58 दिनांक 09.06.2020

कार्यालयीय –आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राजभाषा प्रभाग के पत्र सं.13034–3 / 2019–रा.भा.ए. हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट, अक्तूबर से दिसम्बर, 2019 की समीक्षा के उपरान्त दर्शायी गयी कमियों को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना अनिवार्य है।

1. विश्वविद्यालय के समस्त विभागों, संकायप्रमुख, विभागाध्यक्ष एवं अधिकारियों को धारा 3(3) का अनुपालन करते हुए अधिक से अधिक हिन्दी में कार्य करना अनिवार्य है तथा हिन्दी में किए गये कार्य किस भाषा में पत्र प्राप्त हुआ एवं उसका उत्तर किस भाषा में दिया गया एवं फाईलों में की गई हिन्दी, अंग्रेजी की टिप्पणियों एव शोध का विवरण इत्यादि तिमाही की समाप्ति के दौरान व्यौरा देने का कष्ट करें जैसे :–प्रथम तिमाही अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर , अक्तूबर से दिसम्बर, जनवरी से मार्च, की तिमाही के अन्त में संलग्न फार्म भर कर हिन्दी विभाग में देने क कष्ट करें। ताकि मंत्रालय को तिमाही रिपोर्ट समय पर प्रेषित कि जा सके।
2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे :– सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं,प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसद को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री को अनिवार्यतः हिन्दी तथा अंग्रेजी अर्थात द्विभाषी रूप में जारी किया जाए।
3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में दिया जाए ।
4. मूल पत्राचार में हिंदी का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित शतप्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही की जाए।
5. हिन्दी में टिप्पणियां अधिक से अधिक लिखने का प्रयास किया जाए।

अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

भारती त्रिपाठी
सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव
3. समस्त अनुभाग अधिकारी / विकास विभाग / परीक्षा विभाग
4. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
5. कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियता
6. महिला अध्ययन केन्द्र
7. पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रकाशन विभाग
8. कुलपति / कुलसचिव / वित्ताधिकारी के निजी सचिव

भारती त्रिपाठी
सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

भाग—1 प्रत्येक तिमाही में भरा जाए

विषय	संदर्भ	किस भाषा में पत्र प्राप्त हुआ हिन्दी/अंग्रेजी	किस भाषा में उत्तर दिया गया. हिन्दी/अंग्रेजी	फाइल में दी गई टिप्पणियाँ/शोध हिन्दी/अंग्रेजी	द्विभाषी में पत्राचार, कार्यालय आदेश आदि की संख्या
1	2	3	4	5	6